बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–11001/2011 श्रीमती सरिता चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13–07–2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा एक तार्किक आदेश संख्या–3546 दिनांक 20–07–12 निर्गत किया गया है।

उस आदेश में स्पष्ट निदेश था कि बिहार उद्योग सेवा संवर्ग परीक्षा नियमावली 2011 संबंधी अधिसूचना संख्या–4443 दिनांक 08–09–11 की कंडिका–4 मे यह उल्लेख है कि सेवा के सदस्यों को मूल कोटि में दूसरी वेतन वृद्धि, सेवा सम्पुष्टि एवं मूल कोटि में उच्चतर पद पर प्रोन्नति की हकदारी के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके अनुरूप बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा में भाग लेने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही उनके सेवाकाल में उससे होने वाले लाभ को नियमानुकूल दिया जायेगा। इस आशय का आदेश निर्गत किया जा चुका है। लेकिन कुछ पदाधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन दिया गया था कि उन्हें परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें प्रोन्नति तथा अन्य लाभ प्रदान किया जाय। इस विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग का मंतव्य है कि सभी पदाधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य है। जहाँ तक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके पदाधिकारियों का प्रश्न है सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उर्त्तीणता से विमुक्ति नियमानुसार कर सकते हैं।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के मंतव्य/परामर्श के आलोक में बिहार उद्योग सेवा के सभी पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा में उर्त्तीण होना अनिवार्य है।

2. इसकी सूचना बिहार उद्योग सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को दी जा रही है ताकि वह विभागीय परीक्षा में सम्मिलित हो। विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3119
3/उ०स्था०(मुकदमा)05/11 पटना, दिनांकः– 10-7-13

प्रतिलिपिः– बिहार उद्योग सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितं

सरकार के अवर सचिव

राकेश/09–07–13

D:\Industry Deptt\Sant Sinha\Sant Sir-1.doc